2027 का बहाना 2029 पर निशाना

उप्र की राजनीति में वर्तमान के सहारे भविष्य की ओर देख रही कांग्रेस

प्रवेश कुमार मिश्र
नई दिल्ली, 18 सितंबर. उत्तर प्रदेश की चुनावी बिसात पर सपा व कांग्रेस के बीच जारी सीट बंटवारे पर चर्चा महज सीटों का अंकगणित नहीं है बल्कि यह 2027 के बाद 2029 के लिए तैयार की जाने वाली राजनीतिक जमीन है.

सूत्रों की मानें तो सपा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बीच हुई बहुस्तरीय बैठकों से साफ हो गया है कि परेशानी सिर्फ नंबर गेम तक सीमित नहीं है बल्कि दोनों दलों के बीच की चिंता वर्तमान से कहीं ज्यादा भविष्य के राजनीतिक वर्चस्व से जुड़ी है.

इस चुनाव में कांग्रेस अपनी खोई हुई प्रांतीय जमीन वापस पाने के साथ-साथ दीर्घकालिक रणनीति को सफल करने की मुहिम में लगी है. इसी वजह से वह चुनी हुई सीटों पर विशेष नजर रखे हुए है ताकि उसका स्ट्राइक रेट सही रहे. जबकि सपा का पूरा ध्यान भविष्य के बजाय तात्कालिक रूप से किसी भी सूरत में लखनऊ की सत्ता हासिल करने की योजना पर है. क्योंकि सपा का थिंक टैंक इस व्यावहारिक सच को जानता है कि भाजपा जैसी मजबूत सत्ता को हराने के लिए स्ट्राइक रेट का सौ फीसदी होना जरूरी है. यही कारण है कि सपा 2017 जैसी गलती दोबारा दोहराने के पक्ष में नहीं है, जब कांग्रेस को 105 सीटें देने से गठबंधन का गणित बिगड़ गया था. राजनीतिक जानकारों की मानें तो कांग्रेस व सपा के बीच एक बड़ा रणनीतिक विरोधाभास भी उभर रहा है. कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना और आक्रामक सोशल जस्टिस के एजेंडे को लेकर चल रही है, जिससे राज्य स्तर पर उसका पारंपरिक सवर्ण मतदाता थोड़ा असहज महसूस कर रहा है.

बावजूद इसके राहुल गांधी की कोर टीम और प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम के नए रणनीतिक रुख में कांग्रेस का नया आंतरिक आकलन यह है कि मायावती के कमजोर होते जनाधार से छिटक रहे दलित मतदाताओं का एक बड़ा धड़ा अब स्वतंत्र राष्ट्रीय नेतृत्व की तलाश में है. कांग्रेस जानती है कि ग्रामीण स्तर पर कई स्थानों पर दलित और पिछड़ी जातियों के बीच स्थानीय सामाजिक तनाव मौजूद रहता है. ऐसे में दलित मतदाता सीधे सपा के साइकिल पर सवार होने बजाय कांग्रेसी हाथ से हाथ मिलाना सहज महसूस करता है. जबकि सपा इस खाली हो रही राजनीतिक जमीन को भांपकर बहुत ही खामोशी से ऑपरेशन पंडित के तहत ब्राह्मणों को जोड़ने की आक्रामक मुहिम चला रही है.

अखिलेश यादव ने अपने पीडीए नारे में पी का अर्थ पंडित बताकर सवर्णों को यह संदेश देने की पुरजोर कोशिश की है कि भाजपा राज में वे उपेक्षित हैं.

विधानसभा चुनाव में 80 से 85 सीट दे सकती है सपा

सपा प्रमुख अखिलेश यादव इस बार बहुत ही सख्त रुख अपनाते हुए कांग्रेस से उन सभी सीटों पर उम्मीदवारों का त्रिस्तरीय पैनल और बूथ ऑडिट मांग रहे हैं, जिन पर कांग्रेस दावा कर रही है. सपा का स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस भले ही अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा और 2029 के रोडमैप पर काम करे, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए हर एक सीट पर केवल जीतने की क्षमता को ही एकमात्र पैमाना बनाया जाएगा. इसलिए कांग्रेस के 115 सीटों की मांग को सपाई वार्ताकार रामगोपाल यादव खींच कर 80 से 85 तक ले जाने के प्रयास में हैं.

हवा में हाथापाई! लंदन-ढाका फ्लाइट में भिड़े दो यात्री

झगड़े से विमान में मचा बवाल, वीडियो वायरल

नवभारत न्यूज नेटवर्क
ढाका, 18 सितंबर. विमान बांग्लादेश एयरलाइंस की लंदन से बांग्लादेश जा रही उड़ान में दो पुरुष यात्रियों के बीच विवाद के बाद मारपीट का मामला सामने आया है. घटना के दौरान विमान में मौजूद यात्रियों के बीच अफरा-तफरी की स्थिति बन गई.

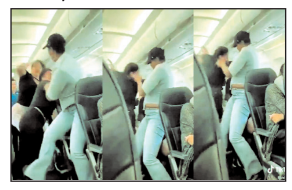

अन्य सवारियों और केबिन क्रू ने हस्तक्षेप करके दोनों को अलग किया. उड़ान के दौरान दोनों यात्रियों के बीच किसी मुद्दे को लेकर बातचीत शुरू हुई थी. कुछ समय बाद यह बातचीत तीखी बहस में बदल गई. देखते ही देखते दोनों ने एक-दूसरे पर हाथ उठाना शुरू कर दिया. हाथापाई के दौरान एक यात्री की टी-शर्ट भी फट गई. घटना के समय विमान में अन्य यात्रियों के साथ बच्चे और बुजुर्ग भी मौजूद थे. अचानक हुए विवाद से आसपास बैठे लोग घबरा गए. स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए सहयात्रियों ने आगे बढ़कर दोनों यात्रियों को अलग करने की कोशिश की. केबिन क्रू ने भी मामले को नियंत्रित करने में हस्तक्षेप किया. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. विमान बांग्लादेश एयरलाइंस के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि एयरलाइन को मामले की पूरी जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है.

नेपाल में बिना पासपोर्ट घूम सकेंगे पर्यटक

इमिग्रेशन विभाग ला रहा नया सिस्टम

नवभारत न्यूज नेटवर्क
काठमांडू, 18 सितंबर. नेपाल का इमिग्रेशन विभाग एक ऐसी व्यवस्था शुरू करने जा रहा है, जिससे विदेशी नागरिकों को पूरे हिमालयी देश में घूमने के लिए अपना फिजिकल पासपोर्ट साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं होगी. विभाग ने इस सिस्टम को 'पासपोर्ट-फ्री ट्रैवल' नाम दिया है.

विभाग का कहना है कि इसका मकसद नेपाल में विदेशी नागरिकों के ठहरने को और अधिक सुविधाजनक बनाना है. इस सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए विदेशी नागरिकों को नेपाल पहुंचने के बाद अपने मोबाइल में इमिग्रेशन विभाग की आधिकारिक ऐप इंस्टॉल करनी होगी और उसमें जरूरी जानकारी भरनी होगी, जिसमें पासपोर्ट की स्कैन कॉपी और वीजा की डिटेल भी शामिल है. विभाग के डायरेक्टर जनरल राम चंद्र तिवारी ने कहा, 'फिर वे बिना फिजिकल पासपोर्ट लिए पूरे देश में आजादी से घूम सकते हैं.' विभाग ने बताया कि यह ऐप एंड्रॉयड और एप्पल आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है.

एक बार ऐप पर अपनी डिटेल रजिस्टर करने के बाद विदेशी नागरिकों को घरेलू उड़ानों में सवार होते समय, मनी एक्सचेंज काउंटर पर करेंसी बदलते समय, होटल में चेक-इन करते समय या ट्रेकिंग एजेंसियों के जरिए यात्रा की व्यवस्था करते समय अपना फिजिकल पासपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं होगी. राम चंद्र तिवारी ने कहा, 'उदाहरण के लिए, यात्रा के दौरान जो लोग अपना पासपोर्ट होटल में भूल जाते हैं और जरूरत पड़ने पर उसे नहीं दिखा पाते, तो ऐप पर अपनी जानकारी अपडेट करके नेपाल के अंदर रहते हुए पासपोर्ट होटल या कहीं और भूलने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी.

इंडिगो ने बढ़ाए कई सर्विस चार्जेस

बच्चों के टिकट से लेकर लगेज तक किया महंगा

नवभारत न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली, 18 सितंबर. घरेलू हवाई यात्रा करने वाले इंडिगो के यात्रियों के लिए अब कुछ अतिरिक्त सेवाएं पहले के मुकाबले महंगी होंगी.

एयरलाइन ने शिशु टिकट, अतिरिक्त सामान, प्रायोरिटी चेक-इन एवं बोर्डिंग सहित कई सुविधाओं के शुल्क में बढ़ोतरी की है. इसका सीधा असर उन यात्रियों के खर्च पर पड़ेगा, जो निर्धारित सीमा से अधिक सामान या अतिरिक्त सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं.

बिना अलग सीट वाले शिशुओं के लिए टिकट शुल्क में वृद्धि की गई है. पहले इसके लिए 2,000 देने होते थे, जिसे बढ़ाकर 3,000 कर दिया गया है. यह व्यवस्था उन बच्चों पर लागू होती है, जो अपने माता-पिता के साथ यात्रा करते हैं और उनके लिए अलग सीट निर्धारित नहीं होती.

अतिरिक्त सामान पर रु.800 प्रति किलोग्राम लगेगा शुल्क

निर्धारित बैगेज सीमा से ज्यादा सामान ले जाने वाले यात्रियों को भी अब अधिक भुगतान करना होगा. अतिरिक्त लगेज का शुल्क रू. 700 प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 800 कर दिया गया है.

प्रायोरिटी सुविधा भी हुई महंगी

एयरपोर्ट पर प्राथमिकता के साथ चेक-इन और बोर्डिंग की सुविधा लेने वालों के लिए शुल्क रू. 450 से बढ़कर 650 हो गया है.

ऑटो में रेप के बाद नृशंस हत्या

नवभारत न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली, 18 सितंबर. राष्ट्रीय राजधानी में 16 वर्षीय लड़की से रेप के बाद चाकू घोंपकर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है.

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को पकड़ा है. इनमें तीन आरोपी नाबालिग हैं. जानकारी के मुताबिक, टेंपो में सवार होकर साथ गई नाबालिग लड़की के साथ तीन नाबालिगों सहित चार लोगों ने बलात्कार किया. फिर उसकी चाकू घोंपकर हत्या कर दी और शव को खुले खेत में फेंक दिया. पुलिस ने बताया कि संदिग्धों में से तीन ने लड़की के साथ रेप किया. चौथे संदिग्ध ने बताया कि वह यौन हमले में शामिल नहीं था, लेकिन हत्या में शामिल था.

मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद

(योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, म.प्र.शासन)
कुटुम्ब न्यायालय के पास, सिविल लाईन जिला सतना (म.प्र.)

क्रमांक / जअप / वाहन/26/584 सतना, दिनांक-17 .09 .2026

// निविदा आमंत्रण //

म.प्र. जन अभियान परिषद जिला कार्यालय सतना में जिला समन्वयक के क्षेत्र भ्रमण हेतु एक चार पहिया वाहन (टैक्सी परमिट) मासिक किराये / प्रति दिवस दर के आधार पर अनुबंधित किया जाना है। निविदा हेतु पंजीकृत ट्रेवल्स / वाहन मालिक से सील बंद लिफाफे में निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र जिला कार्यालय, म.प्र. जन अभियान परिषद, नियर कुटुम्ब न्यायालय सिविल लाईन जिला सतना में दिनांक 30 सितम्बर 2026 तक कार्यालयीन समय 06 .00 बजे तक जमा किए जा सकते हैं।

जिला समन्वयक
म.प्र. जन अभियान परिषद
जिला सतना (म.प्र.)

महिला को नौकरी नहीं देने पर आईओएस पर 12 लाख जुर्माना

बॉटलिंग प्लांट में रखने से इनकार पर भड़का सुको

नवभारत न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली, 18 सितंबर. एलपीजी बॉटलिंग प्लांट में रिफिलिंग हेल्पर पद पर नियुक्ति से वंचित हरियाणा की एक महिला को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है.

अदालत ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओएस) को 12 लाख रुपये का एकमुश्त मुआवजा देने का निर्देश दिया है. महिला अब सेवानिवृत्ति की उम्र पार कर चुकी हैं, इसलिए न्यायालय ने उन्हें नौकरी देने के बजाय आर्थिक क्षतिपूर्ति का रास्ता अपनाया. मामला हरियाणा के गुढ़ा गांव की महिला से संबंधित है. रोजगार के लिए डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता वाली स्थानीय समिति ने 49 लोगों के नामों की सिफारिश की थी. महिला ने एलपीजी बॉटलिंग प्लांट में रिफिलिंग हेल्पर पद के लिए साक्षात्कार दिया था. सूची में शामिल 43 अन्य उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए, लेकिन महिला को नियुक्त नहीं किया गया. मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने की.

108 साल पुराने ओलंपिया का लाइसेंस सस्पेंड

एफडीए को जांच में मिले कॉकरोच, मक्खियां

नवभारत न्यूज नेटवर्क
मुंबई, 18 सितंबर. मुंबई के मशहूर 108 साल पुराने ओलंपिया कॉफी हाउस का फूड लाइसेंस महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने सस्पेंड कर दिया है. 16 सितंबर को ग्राहक की शिकायत के बाद एफडीए की टीम ने ओलंपिया कॉफी हाउस का निरीक्षण किया.

कोलाबा स्थित रेस्टोरेंट की जांच में सफाई और खाने के रखरखाव से जुड़ी कई गंभीर कमियां मिलीं. एफडीए के मुताबिक, फूड स्टोरेज एरिया और किचन में यूरिनल मिला. यहां कॉकरोच और मक्खियां भी पाई गईं. फ्रिज में मांस का खून मिला. कच्चे वेज और नॉनवेज खाने को अलग रखने की उचित व्यवस्था भी नहीं थी. जांच में खाना फर्श पर रखना, गंदे पानी का इस्तेमाल और अस्वच्छ तरीके से खाना बनाने जैसी कमियां मिलीं. बर्तन धोने की जगह गंदी थी और खाना काटने वाले लकड़ी के चॉपिंग बोर्ड भी खराब हालत में थे.

कर्मचारियों के लिए जरूरी सुरक्षात्मक कपड़े भी नहीं मिले. एफडीए के मुताबिक, रेस्टोरेंट में 35 फूड हैंडलर काम करते हैं. इनमें 34 ने जरूरी फूड सेफ्टी ट्रेनिंग नहीं ली थी. जांच में पानी की अनिवार्य रिपोर्ट और सैनिटेशन रिकॉर्ड भी नहीं मिले. इन कमियों के चलते एफडीए ने फूड लाइसेंस तत्काल सस्पेंड कर दिया. लाइसेंस बहाल होने तक रेस्टोरेंट खाना खरीद, बना, स्टोर, बेच या बांट नहीं सकता. कमियां दूर करने और एफडीए की दोबारा जांच के बाद ही आगे फैसला होगा.

क्रिस्टोफर नोलन-टॉम हॉलैंड पहुंचे थे

1918 में शुरू हुआ ओलंपिया कॉफी हाउस मुंबई के पुराने चर्चित कैफे में शामिल है. इस साल जुलाई में हॉलीवुड अभिनेता टॉम हॉलैंड और मैट डेमन के साथ फिल्ममेकर क्रिस्टोफर नोलन भी यहां पहुंचे थे.

नाम सुधार सूचना

मैं सेना संख्या 14919514y रैंक हवलदार बृजमान वर्मा ग्राम पोस्ट बडोखर जिला सीधी म.प्र. का निवासी हू एवं शपथपूर्वक कथन करता हूँ की मेरे आर्मी के दस्तावेजों में मेरी पुत्री का नाम योगिता (YOGITA) अंकित है जिसे बदलकर योगिता वर्मा (YOGITA VERMA) करवाना चाहता हू जो की मेरी पुत्री के आधार कार्ड शैक्षणिक दस्तावेजों एवं अन्य दस्तावेजों में भी मेरी पुत्री का नाम योगिता वर्मा (YOGITA VERMA) दर्ज है अतः मेरे उक्त सर्विस रिकॉर्ड में मेरी पुत्री का नाम योगिता वर्मा (YOGITA VERMA) दर्ज किया जाए एवं पढ़ा लिखा व जाना जाये यदि भविष्य में कोई विसंगति पायी जाती है तो उसकी समस्त जबाबदारी मेरी स्वयं की होगी.

प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस

कार्यालय प्राचार्य, संजय गांधी स्मृति शासकीय महाविद्यालय सीधी (म.प्र.)

क्र./2450/स्था./2026 सीधी, दिनांक- 18/09/2026

विज्ञप्ति का प्रारूप

लैब, आईटी उपकरण एवं फर्नीचर क्रय करने हेतु विज्ञप्ति

प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, संजय गांधी स्मृति शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीधी, पी.एम. उषा. कम्पोनेन्ट-3 मद के अन्तर्गत लैब, आईटी उपकरण एवं फर्नीचर क्रय करने हेतु क्रय संबंधी कार्यवाही एम.पी.पोर्टल के माध्यम से निम्नानुसार बिड प्रकाशित की गई है।

क्र.	टेण्डर आईडी	एम.पी. पोर्टल पर प्रकाशन तिथि
01	2026_HED_536972_1	18.09.2026

इच्छुक फर्म एम.पी.टेंडर पोर्टल के माध्यम से दिनांक 18.09.2026 से बिड समाप्ति दिनांक 15.10.2026 तक समय सायं 6.00 बजे तक आवेदन कर सकते है।

डॉ.प्रभाकर सिंह
प्राचार्य
प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस
स.गां.स्मृ.शा.स्व.महा. सीधी (म.प्र.)

नंदीग्राम से कांग्रेस प्रत्याशी गिरफ्तार

कोलकाता. पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव से पहले कोलकाता में कांग्रेस ने दावा किया है कि पार्टी के नंदीग्राम उम्मीदवार मिलन प्रधान को गिरफ्तार कर लिया गया है. कांग्रेस ने कहा कि यह गिरफ्तारी ममता बनर्जी के समर्थन देने के कुछ ही घंटे बाद हुई. पार्टी ने इस कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए हैं.

सोनीपत से दिल्ली तक दौड़ेगी हाइड्रोजन ट्रेन

नई दिल्ली. भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन के परिचालन का दायरा बढ़ाने पर रेलवे विचार कर रहा है. फिलहाल यह ट्रेन हरियाणा के 89 किलोमीटर लंबे जींद-सोनीपत रेलखंड पर संचालित हो रही है. अब इसे दिल्ली तक ले जाने के विकल्प पर काम किया जा रहा है. अधिकारियों के अनुसार, 2,600 यात्रियों की अधिकतम क्षमता वाली इस 10 कोच की ट्रेन में जींद से सोनीपत तक करीब 40 से 60 यात्री ही यात्रा कर रहे हैं.

अनिल अंबानी पर एक और एफआईआर

- एलआईसी की शिकायत पर दर्ज हुआ नया मामला
- सीबीआई अब निवेश को लेकर करेगी जांच

नवभारत न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली, 18 सितंबर. सीबीआई ने लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की शिकायत पर रिलायंस कैपिटल लिमिटेड कंपनी के पूर्व चेयरमैन अनिल अंबानी, रिलायंस एडीए ग्रुप के ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर सतीश सेठ,

अज्ञात सरकारी अधिकारियों और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.

12 अप्रैल 2012 से 9 मार्च 2018 के बीच एलआईसी ने रिलायंस कैपिटल द्वारा जारी पांच नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर्स में कुल 3900 करोड़ रुपये का निवेश किया था. ये डिबेंचर कॉर्पोरेट जरूरतों, फंडिंग आवश्यकताओं और मौजूदा कर्ज के पुनर्वित्त के लिए जारी किए गए थे.जांच एजेंसी का आरोप है कि आरोपियों ने आपराधिक साजिश रची, गलत जानकारी देकर एलआईसी को निवेश के लिए प्रेरित किया और बाद में फंड का डायवर्जन किया. सीबीआई का दावा है कि इससे एलआईसी को 2684.57 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जबकि संबंधित लोगों और अन्य लाभार्थियों को अनुचित फायदा पहुंचा.

In The Court Of III Civil Judge Senior Division District Court,Singruali

Presiding Officer: प्रियंक भारद्वाज
संलग्न नोटिस प्रकाशन हेतु
(MJC SUC 10/2026)
नीता बियार व अन्य.......वादी
बनाम
हर आम व खास......प्रतिवादी
पेशी दिनांकः- 23.10.2026

प्रेषिती-हर आम व खास पता-
आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक नीता बियार व अन्य ने मृतक छोटे वियार पिता बिठ्ठन वियार पता-ग्राम मेढ़ौली वार्ड क्र. 10 जिला सिंगरौली म.प्र. की.......राशि संपत्ति हेतु उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक/सरंक्षक नियुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये इस न्यायालय में आवेदन किया है जिसकी सुनवाई दिनांक 23.10.2026 को नियत है। यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रकरण में आवेदक को उक्त मृतक का उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक/सरंक्षक होने संबंधी प्रमाण पत्र जारी किये जाने में कोई आपत्ति हो अथवा उक्त प्रकरण में वह अपना हक समझता हो तो पेशी दिनांक 23.10.2026 को न्यायालय में स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहें। सूचना उपरांत, यदि अनुपस्थित रहे तो प्रकरण में सुनवाई एकपक्षीय की जाकर प्रकरण का निराकरण किया जावेगा। यह आज तारीख 16-9-2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

न्यायालय की मुद्रा
(प्रियंक भारद्वाज)
न्यायाधीश
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड मुख्यालय बैढ़न,जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

कार्यालय नगर पालिक निगम रीवा, जिला- रीवा (म.प्र.)

// निविदा सूचना//

क्रमांक- 1080/ई-टेण्डर/ उद्यानिकी/न.पा.नि./2026 रीवा दिनांक 17.09.2026

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाईन निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाइट https://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेण्डर क्रमांक एवं जारी दिनांक तथा NIT क्रमांक/ दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा की अंतिम तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	2026_UAD_536685_1 (Second Call) 1080 / 17.09.2026	नगर पालिक निगम रीवा क्षेत्रांतर्गत स्थित विभिन्न पार्कों में उद्यानिकी (यथा- निदाई, गुड़ाई, साफ-सफाई, पौध रोपण, सिंचाई) एवं जलाशयों (Water Bodies) में उद्यानिकी तथा सुरक्षा संबंधित कार्य हेतु वार्षिक निविदा ।	12 माह रु. 64.32 लाख	रु.10000 .00 रु.64320 .00	05.10. 2026 18.00 बजे तक ।

नोट- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन https://mptenders.gov.in की वेबसाइट पर ही किया जायेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

कार्यपालन यंत्री (उद्यानिकी)
नगर पालिक निगम रीवा (म.प्र.)

एफसीआरए पर जेपीसी में विपक्षी सदस्यों ने उठाए बिल पर सवाल

शक्ति का दुरुपयोग होने का विपक्ष ने किया दावा

नवभारत न्यूज
नई दिल्ली,18 सितंबर.विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक, 2026 की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की पहली बैठक शुक्रवार को भाजपा सांसद डॉ. संजय जायसवाल की अध्यक्षता में संसद भवन में संपन्न हुई.

डॉ. जायसवाल की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में विधेयक के तकनीकी और कानूनी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई. इस 31 सदस्यीय समिति में संसद के दोनों सदनों का प्रतिनिधित्व है, जिसमें 21 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से शामिल हैं. बैठक के दौरान गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को प्रस्तावित विधेयक के विभिन्न प्रावधानों और संशोधनों की रूपरेखा पर विस्तृत जानकारी दी.विपक्षी सदस्यों ने विधेयक के कठोर प्रावधानों पर अपनी गंभीर आपत्तियां दोहराईं. विपक्ष का मुख्य विरोध उस प्रस्तावित नियम को लेकर है, जिसके तहत सरकार द्वारा नियुक्त नामित प्राधिकरण को बिना किसी पूर्व न्यायिक अनुमति या अदालती आदेश के एनजीओ की संपत्तियों, जैसे स्कूल, अस्पताल और शोध संस्थानों को अपने नियंत्रण में लेने या उन्हें बेचने का असीमित अधिकार मिल जाएगा.

नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मै राजू पिता श्री भग्गू निवासी ग्राम श्री शोभन पो0 सिंहपुर तह0 अजयगढ़ जिला पन्ना (म0 प्र0), मेरे नाम से भा0जी0 बीमा निगम शाखा खजुराहो मे पोलिसी नम्बर 376228039 है जिसमे मेरा नाम गोरेलाल आदिवासी दर्ज है जो कि अब मेरा नाम परिवर्तित होकर राजू पिता भग्गू हो चुका है। मेरे समस्त डाक्यूमेंट में मेरा नाम राजू है। आज से मेरा नाम राजू ही पढ़ा व लिखा जाये उपरोक्त सूचना से जिस किसी व्यक्ति को आपत्ति हो वह भा0 जी0 बीमा निगम के शाखा कार्यालय खजुराहो मे या मो0 नं. 8305279235 मे आपत्ति दर्ज करा सकता है

विज्ञप्ति

कार्यालय - प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, दक्षिण वनमंडल पन्ना (म.प्र.)

// वार्षिक साधारण सभा //

जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित दक्षिण वनमण्डल पन्ना के समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है कि जिला यूनियन दक्षिण वन मण्डल पन्ना की वर्ष 2026-27 की वार्षिक साधारण सभा दिनांक 29 .09 .2026 को 12 :30 बजे दिन में मीटिंग हॉल दक्षिण वन मण्डल पन्ना में आयोजित की जावेगी। अत: सभी सदस्यगणों से अनुरोध है कि निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर उक्त बैठक की कार्यवाही सम्पन्न कराने मे सहयोग प्रदान करें।

बैठक का स्थान - मीटिंग हॉल दक्षिण वन मण्डल पन्ना
दिनांक -29 .09 .2026 समय - 12 .30 बजे दिन

प्रबंध संचालक
जिला वनो. सह.संघ मर्या.
दक्षिण वनमण्डल पन्ना (म.प्र.)

प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित देवेन्द्रनगर

आमसभा-सूचना

दिनांक 13 .09 .2026

माननीय सदस्य महानुभाव समस्त संचालक मण्डल बहु0 प्राथ0 कृषि साख सहकारी समिति मर्या0, देवेन्द्रनगर के समस्त अंशधारी महानुभावों एवं सम्बद्ध सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों को सूचित किया जाता है कि संस्था की वार्षिक आमसभा दिनांक 29 .09 .2026 दिन मंगलवार समय 12 बजे संस्था कार्यालय देवेन्द्रनगर में निश्चित की गई है, जिसमें आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। गणपूर्ति के अभाव में बैठक स्थगित होने की दशा में, स्थगित आमसभा उसी दिन उसी स्थान पर आधे घण्टे पश्चात होगी, जिसमें गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी। आमसभा में निम्न विषयों पर विचार किया जावेगा। गत वार्षिक आमसभा की पुष्टि करना तथा साधारण बैठकों में पारित प्रस्तावों की पुष्टि करना। वर्ष 2025-26 के वित्तीय पत्रकों का अवलोकन एवं स्वीकृति प्रदान करना। वर्ष 2026-27 का प्रस्ताव (आय-व्यय) बजट स्वीकृत करना एवं वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत करना। वर्ष 2025-26 के लेखाओं की संपरीक्षा हेतु संपरीक्षक फर्म की नियुक्ति करना। संचालक मण्डल के सदस्यों एवं उनके परिवार के सदस्यों पर बकाया ऋण की जानकारी का अवलोकन करना तथा नवीन बनाये गये सदस्यों की स्वीकृति प्रदान करना। अन्य विषय प्रशासक महोदय की अनुमति से।

समिति प्रबंधक,प्राथ0 कृषि साख सहकारी समिति मर्या0 देवेन्द्रनगर

प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित ककरहटी

आमसभा-सूचना

दिनांक 13 .09 .2026

माननीय सदस्य महानुभाव समस्त संचालक मण्डल बहु0 प्राथ0 कृषि साख सहकारी समिति मर्या0 ककरहटी के समस्त अंशधारी महानुभावों एवं सम्बद्ध सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों को सूचित किया जाता है कि संस्था की वार्षिक आमसभा दिनांक 29 .09 .2026 दिन मंगलवार समय 03 बजे संस्था कार्यालय ककरहटी में निश्चित की गई है, जिसमें आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। गणपूर्ति के अभाव में बैठक स्थगित होने की दशा में, स्थगित आमसभा उसी दिन उसी स्थान पर आधे घण्टे पश्चात होगी, जिसमें गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी। आमसभा में निम्न विषयों पर विचार किया जावेगा। गत वार्षिक आमसभा की पुष्टि करना तथा साधारण बैठकों में पारित प्रस्तावों की पुष्टि करना। वर्ष 2025-26 के वित्तीय पत्रकों का अवलोकन एवं स्वीकृति प्रदान करना। वर्ष 2026-27 का प्रस्ताव (आय-व्यय) बजट स्वीकृत करना एवं वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत करना। वर्ष 2025-26 के लेखाओं की संपरीक्षा हेतु संपरीक्षक फर्म की नियुक्ति करना। संचालक मण्डल के सदस्यों एवं उनके परिवार के सदस्यों पर बकाया ऋण की जानकारी का अवलोकन करना तथा नवीन बनाये गये सदस्यों की स्वीकृति प्रदान करना। अन्य विषय प्रशासक महोदय की अनुमति से।

समिति प्रबंधक, प्राथ0 कृषि साख सहकारी समिति मर्या0, ककरहटी

न्यायालय, आयुक्त कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, श्रम न्यायालय सतना म0प्र0

प्रकरण क्रमांक 54/Wc Act (वि0)2026
सुखवंती **- बनाम-**
मुख्य कार्यपालन अधि. जनपद पंचायत उचेहरा

सूचना-पत्र

उपरोक्त प्रकरण में आपको / सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री स्व.कैलाश चौधरी उम्र 32 वर्ष आत्मज स्व. हरिलाल चौधरी श्रमिक का मुख्य कार्यपालन अधि.उचेहरा में काम करते हुए दिनांक 11.11.2016 को दुर्घटना में मृत्यु हो गई है व श्रमिक के नियोक्ता मुख्य कार्यपालन अधिकारी उचेहरा ने क्षतिपूर्ति राशि जमा किया है धनराशि रु. 203850 .00 /- (शब्दों में) दो लाख तीन हजार आठ सौ पचास रुपये मात्र मृतक के आश्रितों में वितरण के लिए जमा कराया है।

उपरोक्त प्रकरण में क्षतिपूर्ति धन के वितरण हेतु सुनवाई दिनांक 08 .10 .2026 को नियत की गई है। अत: जो व्यक्ति/आप कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम की धारा 2 डी के अंतर्गत मृतक के आश्रित हों तो वह सुनवाई दिनांक 08 .10 .2026 को ठीक 11.00 बजे उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र एवं साक्ष्य नियमानुसार प्रस्तुत करें।

मृतक के आश्रित होने के प्रमाण हेतु स्थानीय मजिस्ट्रेट कलेक्टर या किसी शासकीय विज्ञप्ति अधिकारी द्वारा स्वयं का चित्र सत्यापित करवाकर पहचान हेतु प्रस्तुत करें।

यदि हो तो मृतक के नाबालिग बच्चों को भी साथ ले आवे। साथ ही मृतक के आश्रित का स्थानीय पंचायत या नगर पालिका का प्रमाण पत्र एवं दो गवाह भी ले आवे। मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 29 .08 .26 को जारी किया गया।

अदालत की मुद्रा

Commissioner 'Or Emloyeess' Compensations Labour Court, Satna (M.P.)

रोहा हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालयः यूनिट संख्या 1117 और 1118, 11वीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड टावर, सेक्टर 16, नोएडा, उत्तर प्रदेश 201301।

मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत उधारकर्ता को सूचना।

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि रोहा हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (आरएचएफपीएल) से ऋण लेने वाले निम्नलिखित उधारकर्ता आरएचएफपीएल को अपने ऋण की समान मासिक किश्तों (ईएमआई) का भुगतान करने में विफल रहे हैं और उनके ऋण खाते को राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उधारकर्ता(ओं) ने आरएचएफपीएल को अचल संपत्ति/संपत्तियों की सुरक्षा प्रदान की है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। ऋण का विवरण और उधारकर्ता/ओं द्वारा आरएचएफपीएल को आज तक बकाया और देय राशि भी नीचे दी गई है। उधारकर्ता(ओं) के साथ-साथ आम जनता को भी सूचित किया जाता है कि आरएचएफपीएल के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (SARFAESI अधिनियम) के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। यदि निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) इस सूचना के 60 (साठ) दिनों के भीतर अपने नामों के सामने इंगित बकाया राशि चुकाने में विफल रहते हैं, तो अधोहस्ताक्षरी SARFAESI अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत सुरक्षित लेनदार को प्रदत्त किसी एक या अधिक शक्तियों का प्रयोग करेंगे आम जनता को सलाह दी जाती है कि वे नीचे वर्णित संपत्ति/संपत्तियों से लेन-देन न करें।

स. क्र.	उधारकर्ता(ओं)/सह-उधारकर्ता(ओं)/ऋण खाता संख्या/शाखा का नाम	मांग सूचना की तिथि और राशि	सुरक्षित संपत्ति(यों) (अचल संपत्ति/संपत्तियों) का विवरण
1	LAN: HLREWASCON000005017163 / शाखाः रीवा 1. प्रदीप कुमार साहू, 2. पार्वती साहू दोनों पता1ः बहरी से मौहर रोड, तालन गांव के पास-मौहरिया, पोस्ट-परसवार, तहसील-बहरी, पीओ-देवगांव, जिला-सीधी, एमपी-486661, बहरी, रीवा, मध्य प्रदेश-486661, भारत। पता 2ः ख.नं.-180/1/1, मौजा केशवही, पीएचएन-51, रिक देवगवां, तहसील-बहारी, जिला-सीधी, मध्य प्रदेश-486661, भारत।	14.08.2026 और रू. 1718475/- 12.08.2026 तक	वह सब इसका अभिन्न अंग है संपत्ति संबंधी संपत्ति का पता : खसरा नंबर-180/1/1, मौजा केशवही, पीएचएन-51, रिक देवगवां, तहसील-बहरी, जिला-सीधी, मध्य प्रदेश-486661, भारत।

दिनांक - 19.09.2026
स्थान - सतना

प्राधिकृत अधिकारी,
रोहा हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड